(386)

संख्या 2675/XVIII(II)/2011

प्रेषक,

पी.सी.शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 दिसम्बर, 2011

विषय :– डिसप्लेस्ड पर्शन्स (कम्पनसेशन एण्ड रिहैबिलिटेशन) एक्ट, 1954 के अधीन प्रेमनगर, देहरादून में पुनर्वास के लिए अधिग्रहित भूमि में से अवशेष भूमि के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर आपके पत्र संख्या–मेमो./इक्तालीस–1(87)–90 दिनांक 05 जून, 2008 एवं पत्र संख्या–32/डी.आर.आर.ओ./पी.एन./जी.वी.पी. दिनांक 26 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रेमनगर, देहरादून में पुर्नवास के लिए अधिग्रहित भूमि में से प्रस्तावित अवशेष भूमि के विनियमितीकरण के संदर्भ में निम्नानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें–

1. जिलाधिकारी के प्रस्तावानुसार केवल शरणार्थियों के लिए अधिग्रहित भूमि में से आवंटन से अवशेष भूमि पर ही यह नीति लागू होगी एवं अवशेष भूमि का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर कर लिया जाए।
2. कब्जे के आधार पर शरणार्थी परिवारों एवं उने संबंधित संस्थाओं के लिए वर्ष 1962 में डिसप्लेस्ड पर्शन्स (कम्पनसेशन एण्ड रिहैबिलिटेशन) एक्ट, 1954 की धारा–20 के अनुरूप आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
3. जो कब्जाधारी उपर्युक्त धारा–20 से आच्छादित नहीं होते है उनके लिए गर्वमेंन्ट ग्रान्ट के अंतर्गत लीज आवंटन कर भूमि का विनियमितीकरण किया जाएगा।
4. भूमि का विनियमितीकरण दिनांक 09 नवम्बर, 2000 की तिथि को देय सर्किल रेट के अनुसार किया जाएगा।

5. जो भी रिक्त भूमि अवशेष मौके पर बचेगी उसके तत्काल राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।
6. वर्तमान कब्जों के विनियमितीकरण के लिए लाभार्थी परिवारों का चिन्हिकरण व उनके कब्जे की भूमि का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.सी.शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ0प0सं0-2675 समदिनांकित/2011

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, 12 ई.सी.रोड़ देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव